न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

भूमि बिक्री अनुमति वाद संख्या–25/2024

संजय कुमार गुप्ता वगैरह
बनाम्
मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

–: आदेश :–

आवेदक संजय कुमार गुप्ता व रंजीत कुमार गुप्ता दोनों के पिता–स्व0 गणेश प्रसाद साहु दोनों निवासी ग्राम+पो0–चकला, थाना–चन्दवा, जिला–लातेहार के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 के तहत् चकला खुली कोयला खदान परियोजना, चकला, चन्दवा के लिए मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, 21वीं मंजिल प्रथम अंतरराष्ट्रीय केन्द्र टॉवर 4, प्रभादेवी, प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के पास सेनापति बापत मार्ग, मुम्बई–400013 कोयला खदान (प्रतिष्ठान) चकला खुली कोयला खदान परियोजना ग्राम+पो0–चकला, थाना+अंचल–चन्दवा, जिला– लातेहार के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय कुमार राय, पिता–स्व0 जनार्दन राय, जो कोयला खादान में भूमि विभाग के सहायक प्रबंधक प्रतिस्थापित है के साथ अपनी रैयती भूमि को बिक्री हेतु अनुमति के लिए आवेदन समर्पित किया गया है :–

भूमि का विवरण

मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा (एकड़)
चकला	39	1363	0.62
		1364	0.16
		1366	2.20
		1071	0.32
		1362	2.17
		कुलः–	**5.47**

अंचल अधिकारी, चन्दवा के पत्रांक 299 दिनांक 03.04.2024 से प्रश्नगत भूमि की स्थलीय जांच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार प्राप्त हुआ। आम इस्तेहार के विरूद्ध कब्जाधारी रैयतों के द्वारा आवेदित भूमि का बिक्री हेतु अनुमति प्रदान नहीं किये जाने के संबंध में आपत्ति आवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चन्दवा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि का मांग RS मांग पंजी–II में आवेदकगण के पिता के नाम से मांग कायम है। आवेदित भूमि पर आवेदकगण का दखल कब्जा नहीं है। स्थलीय जांच के क्रम में उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि खाता संख्या–39, प्लॉट नं0–1363, 1364, 1366 एवं 1362 पर रंजन भगत पिता–स्व0 सोहराई भगत एवं प्लॉट संख्या–1071 पर पुसा उरांव पिता–वरतु भगत का दखल कब्जा है। माननीय सिविल जज सिनियर डिविजन–II, लातेहार के द्वारा Title Suit No. 06/2009 में दिनांक 22.04.2017 के द्वारा आवेदित भूमि को कब्जाधारी रैयत के पिता–सोहराई उरांव एवं अन्य के पक्ष में फैसला पारित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार के न्यायालय में सिविल अपील विचाराधीन है।

अंचल अधिकारी, चन्दवा द्वारा भूमि की बिक्री की अनुमति के लिए अनुशंसा नहीं किया गया है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में आवेदकगण का अनुमति आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी, चन्दवा को भेजें।

अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.04.18 14:51:33 +05:30
Location: 192.168.93.92

उपायुक्त,
लातेहार।